

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 12, 2018

राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि परिस्थितियों द्वारा ऐसा किया जाना अपेक्षित है, इसके द्वारा आदेश देती है कि जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक प्रवर्गों की भूमि की विद्यमान दरें दिनांक 13.02.2018 से पुनः अवधारित की जायेंगी और दस प्रतिशत तक घटायी जायेंगी।

[सं.प.4(3)वित्त/कर/2018-191]
राज्यपाल के आदेश से,


प्रवीण गुप्ता,
शासन सचिव


**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, February 12, 2018**

In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, the State Government being of the opinion that the circumstances require so to do, hereby orders that the existing rates of agriculture, residential and commercial categories of land recommended by the District Level Committee, shall be re-determined and decreased by ten percent with effect from 13.02.2018.

[No.F.4(3)FD/Tax/2018-191]

By order of the Governor,


(Praveen Gupta)

Secretary to the Government